न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

(81)

निगरानी प्रकरण कमांक 2915 एंव 2916-एक/2016

विरूद्ध आदेश दिनांक 11-8-2016 - पारित व्दारा -

तहसीलदार मुरैना जिला मुरैना - प्रकरण कमांक

13/2015-16 अ-27 एंव प्रकरण कमांक 14/2015-16

अ-27

(1) दोनों निगरानी प्रकरणों के पक्षकार

रामनिवास पुत्र रामचरण ब्राहमण

ग्राम शिकारपुर तहसील मुरैना ---आवेदक

विरूद्ध

1- ओमप्रकाश पुत्र रामचरण ब्राहमण

ग्राम शिकारपुर तहसील मुरैना ---अराल अनावेदक

2- दिलीप कुमार 3- संजय 4- शिशुपाल

5- बृजकिशोर 6- देशराज पुत्रगण लक्ष्मीनारायण

7- आशीष पुत्र दिलीपकुमार

8- श्रीमती अनिता पत्नि दिलीपकुमार

9- श्रीमती त्रिवेणी पत्नि लक्ष्मीनारायण

10- मधु पुत्री लक्ष्मीनारायण

राभी जाति ब्राहमण निवासी ग्राम शिकारपुर

तहसील व जिला मुरैना मध्य प्रदेश ---तरतीवीं अनावेदकगण

दोनों प्रकरणों में

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)

(अनावेदक क-1 के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

आ दे श

(आज दिनांक 8 - 12 -2016 को पारित)

यह दो निगरानी तहसीलदार, मुरैना के 13/2015-16 अ-27 एंव प्रकरण कमांक 14/2015-16 अ-27 में पारित आदेश दिनांक 11-8-2016 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण कमांक 2915-एक/16 निगरानी का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक-1 ने आवेदक एंव अनावेदक कमांक-2 लगायत 10 के बीच ग्राम सिकारपुर की भूमि सर्वे कमांक 446, 448, 449, 450 एंव गोत व सर्वे कमांक 274 स्थित मकान के बटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण कमांक 13 अ-27/2015-16 पर पंजीबद्व करके कार्यवाही प्रारंभ की। आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की कि उक्तांकित भूमि के सम्बन्ध स्वत्व के विनिश्चय हेतु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुरैना के न्यायालय में प्रकरण कमांक 38 ए/14 ई0दी0 प्रचलित है इसलिये स्वत्व के विवाद का निराकरण होने तक विभाजन कार्यवाही स्थगित की जाय। तहसीलदार मुरैना ने इस आपत्ति आवेदन पर अंतरिम आदेश

दिनांक 8-11-16 पारित किया तथा निर्णय लिया कि स्वत्व के सम्बन्ध में कोई प्रश्न न होना, स्थगन न होना पाया गया है। पटवारी मौजा से फर्द तलब हो। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

प्रकरण कमांक 2916-एक/2016 निगरानी का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक-1 ने आवेदक एंव अनावेदक कमांक-2 लगायत 10 के बीच ग्राम छोंदा की भूमि सर्वे कमांक 144, 154, 975 के बटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार मुरैना ने प्रकरण कमांक 14 अ-27/2015-14 पर पंजीबद्व करके कार्यवाही प्रारंभ की। आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की कि उक्तांकित भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व के विनिश्चय हेतु व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुरैना के न्यायालय में प्रकरण कमांक 38 ए/14 ई0दी0 प्रचलित है इसलिये स्वत्व के विवाद का निराकरण होने तक विभाजन कार्यवाही स्थगित की जाय। तहसीलदार मुरैना ने इस आपत्ति आवेदन पर अंतरिम आदेश दिनांक 8-11-16 पारित किया तथा निर्णय लिया कि स्वत्व के सम्बन्ध में कोई प्रश्न न होना, स्थगन न होना पाया गया है। पटवारी मौजा से फर्द तलब हो। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ दोनों निगरानी मेमो में अंकित आधारों के परिप्रेक्ष्य में उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा तहसीलदार मुरैना के प्रकरण कमांक 13 अ-27/2015-16 एंव 14 अ-27/2015-16 में आये तथ्यों का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव

तहसीलदार मुरैना के प्रकरण कमांक 13 अ-27/2015-16 एंव 14 अ-27/2015-16 में आये तथ्यों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक ओमप्रकाश पुत्र रामचरण ने तहसीलदार के समक्ष उपरोक्त पद 3 में वर्णित अनुसार ग्राम शिकारपुर एंव ग्राम छोंदा की भूमि के बटवारे का दावा किया है जिस पर आवेदक की आपत्ति है कि जब तक व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुरैना के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण कमांक 38 ए/14 ई0दी0 संस्थित दिनांक 2-5-16 से स्वत्व का विनिश्चय नहीं हो जाता है वाद विचारित भूमियों का बटवारा नहीं किया जा सकता, जबकि तहसीलदार मुरैना का आदेश दिनांक 11-8-2016 में मानना कि स्वत्व के सम्बन्ध में कोई प्रश्न न होना, स्थगन न होना पाया गया है, इसलिये बटवारा कार्यवाही की जावेगी और यही निर्णय लेकर उन्होंने हलका पटवारी से बटवारे की फर्द मांगी है। अनावेदक व्दारा प्रस्तुत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुरैना के न्यायालय के प्रकरण कमांक 38 ए/14 ई0दी0 संस्थित दिनांक 2-5-16 में हुये आदेश दिनांक 27-8-18 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति प्रस्तुत की है जिसमें निर्णीत है कि -

'' उपरोक्त विवेचना से यह भी निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि वादी (निगरानी का आवेदक) ग्राम छोंटा की वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी क-1 (निगरानी का अनावेदक क-1) के विरूद्व प्रस्तुत वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के तीनों आधारभूत स्तंभ प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणाम स्वरूप वादी का आवेदन पत्र आदेश 39 नियम 1 से 2 सी पी सी आई ए नं.1 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रतिवादी क-1 के विरूद्व इस आशय की
अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह ग्राम छोंदा के सर्वे नंबर 144, 154, 175 में अपने अंश का बटवारा कराये बिना किसी विनिष्ट भाग को विकय न करे और न ही किसी अन्य
अंतरण करे। ''

जब मान. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 मुरैना के न्यायालय में प्रचलित प्रकरण कमांक 38 ए/14 ई0दी0 संस्थित दिनांक 2-5-16 में हुये आदेश दिनांक 27-8-18 से वादी (आवेदक) का आवेदन पत्र आदेश 39 नियम 1 से 2 सी पी सी आई ए नं.1 आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिये गये हैं कि जब तक ग्राम छोंदा के सर्वे नंबर 144, 154, 175 में अपने अंश का बटवारा कराये बिना किसी विनिष्ट भाग को विकय न करे और न ही किसी अन्य अंतरण करे। माननीय न्यायालय व्दारा तहसीलदार को बटवारा कार्यवाही करने से निषेधित नहीं किया है जिसके कारण व्दारा तहसीलदार मुरैना व्दारा अंतरिम आदेश दिनॉक 11-8-20016 से लिया गया निर्णय उचित प्रतीत होता है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 13 अ-27/ 2015-16 एंव 14 अ-27/ 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 11-8-2016 उचित पाये जाने से यथावत् रखे जाते हैं एंव दोनों निगरानी प्रकरण निरस्त किये जाते हैं ।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर